

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) बैतूल

क्रमांक 16 अ-82/19-20/ धनोरी / 5035 बैतूल दिनांक $\frac{29}{30}$ - 5 - 2020
प्रति,

- 1- अनुविभागीय अधिकारी ,
भैसदेही ।
- 2- कार्यपाल यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2,
बैतूल ।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बैतूल ।
- 4- तहसीलदार आठनेर ।


विषय:- मौजा धनोरी, घोघरी जलाशय के भू-अर्जन प्रकरण में विशेषज्ञ समिति की राय का प्रकाशन कराने बाबत।

-0-

विषयान्तर्गत भू-अर्जन प्रकरण में विशेष समिति की राय प्राप्त हुई है जिसकी छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त विशेष समिति की राय का आपके कार्यालय, ग्राम स्तर एवं समुचित सरकार की वेबसाईट पर विधिवत प्रकाशन किया जाकर अवगत करावे।


संलग्न :- उपरोक्तानुसार


(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ0क0 क्रमांक 16 अ-82/ 19-20/ 5035 बैतूल दिनांक $\frac{29}{30}$ - 05 - 2020
प्रतिलिपि:-

- 1- प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
को विशेषज्ञ समिति की राय का विधिवत प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


कलेक्टर,
बैतूल



विषय :- घोघरी मध्यम परियोजना हेतु भौजा धनोरी तहसील आठनेर की भूमि का अर्जन हेतु
क्लेशज्ञ समिति की राय ।

—00—

विषयांकित भूमि अर्जन के प्रकरण में निम्नानुसार विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था :-

ए - (तकनीकी क्लेशज्ञ)

- 1/ श्री ए के दहेरिया, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल , अध्यक्ष
- बी- (पुनर्व्यवस्थापन संबंधी दो क्लेशज्ञ)
- 2/ श्री विपिन वामनकर अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग भैसदेही
- 3/ श्री दीपक भार्गव, उपयंत्री, जल संसाधन उप संभाग बैतूल,

सदस्य

सी-(दो गैर सरकारी सामाजिक विज्ञानी)

- 4/ श्री प्रफुल्ल काले, शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी कोलगांव, सदस्य
- 5/ श्री राजेश साहू शिक्षित एवं समाजसेवी निवासी कोलगांव , सदस्य
- डी-(ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधि)
- 6/ श्रीमती मुल्लो इवने, सरपंच, सदस्य
- 7/ श्री बबनराव चढोकर उपसरपंच सदस्य

उपरोक्त विशेषज्ञ समिति को घोघरी मध्यम परियोजना हेतु भू-अर्जन प्रकरण में पूर्व में सामाजिक समाघात निर्धारण समिति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति विशेषज्ञ समिति के नामांकित सदस्यों को प्रदाय की गई ।

अध्यक्ष कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, बैतूल के द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक बुलाई जाकर घोघरी मध्यम परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के संबंध में भू-अर्जन की प्रक्रिया साथ ही योजना से संबंधित अन्य आवश्यक जानकारी एवं प्रभावित परिवारों के व्यवस्थापन के संबंध में तथा योजना से संबंधित लाभ की समस्त जानकारी से अवगत कराया गया जिसके आधार पर विशेषज्ञ समिति के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन हेतु विधिनुसार एवं निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जा रहा है ।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है, समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक हैं। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
- (7) पर्यावरण पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा। क्षेत्र में जलस्तर की मात्रा अधिक होने के साथ वृक्षारोपण में अधिक मात्रा में किया जाकर वृक्षों को पर्याप्त पानी उपलब्ध होने की प्रबल संभावना है।
- (8) क्षेत्र के पशु पक्षियों को वर्ष भर सुगमता से पानी प्राप्त होते रहेगा एवं उनके चारे आदि की व्यवस्था भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकेगी।

उपसरपंच
ग्राम पंचायत धनोरी

राजेश साहू

(A. K. Deharia)
Executive Engineer
Water Resources Division No 2
Betul (M.P.)

(Vipin Wamankar)
Sub-Divisional Officer
Sub-Division Bhainsdehi

(1) मुखेश शर्मा (पंच)
(2) अिंगा (पंच)

37
सरपंच
ग्राम पंचायत धनोरी
दि 14 अक्टूबर 2017